वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर
संख्या : 972 /XVII-1/2008–10(19)/2007

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–01. देहरादून, 23 अक्टूबर 2008.

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अधिष्ठान व्यय हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–385/XVII-1/2008–10(19)/2007, दिनांक 01 मई 2008 तथा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–267/XXVII(1)/2008, दिनांक 27 मार्च 2008 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अधिष्ठान व्यय हेतु मानकमद "07–मानदेय" में रूपये 50 हजार तथा "42–अन्य व्यय" में रूपये 15 हजार कुल रूपये 65,000/– (रूपये पैसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. अनुदान के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमासिक आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
2. जिन योजनाओं में विगत वर्षों की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी अवशेष हो उनमें समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए, भारत सरकार को समय से ऑडिट की हुई प्रतिपूर्ति के देयक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. वित्तीय वर्ष 2008–09 में इसके पूर्ववर्ती वर्षों के एरियर भुगतान, यदि कोई हो, के विवरण की सूचना पृथक से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
4. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल उक्तानुसार स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
5. उक्त आवंटित धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
6. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता के दृष्टिगत नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा। धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जाए, जिनके लिए यह स्वीकृत की जा रही हैं। वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय का अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाए।
7. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर परचेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि संबंधित अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आहरण–वितरण अधिकारियों को

अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी.एम.–17 पर निर्धारित समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
11. स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए। बी.एम.–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या–30" के "आयोजनेत्तर पक्ष" के लेखाशीर्षक "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा–03–औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन" की मानक मद "07–मानदेय" एवं "42–अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।
13. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–296(NP)/XXVII(3)/2008, दिनांक 10 अक्टूबर 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या :972-(1)/XVII-1/2008–10(19)/2007, तद्दिनांक :
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर सचिव–मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. कोषाधिकारी, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।
6. जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर, उत्तराखण्ड।
7. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।